

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दौसा**

निविदा सूचना

दौसा वृत्त के 2 खण्डों के 8 उपखण्डों के अधिनस्थ 33/11 केवी की 43 विद्युत उपचौकियों के परिचालन एवं संधारण (12 महीनों के लिये) का कार्य निविदा आधार पर करने हेतु प्रतिष्ठानों को कि मुख्य विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार से "अ" श्रेणी में लाईसेंस प्राप्त हो, से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा बिक्री की तिथि - दि० 19.9.2011 (अपरान्ह 2:30 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि - दि० 20.9.2011 (अपरान्ह 3:00 बजे)
स्थान - कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस), दौसा

निविदाओं का विस्तृत विवरण तथा नियम व शर्तें हमारी वेबसाईट www.jaipurdiscom.in पर उपलब्ध है।

निविदा संख्या	खण्ड/उपखण्ड का नाम	उप चौकियों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत (लाख रू० में)	निविदा शुल्क (रूपये में)
01. दौसा खण्ड				
01 (अ)	अ-प्रथम दौसा	4	6.00	2500 / -
01 (ब)	अ-द्वितीय दौसा	6	7.50	2500 / -
01 (स)	अ-प्रथम लालसोट	4	6.00	2500 / -
01 (द)	अ-द्वितीय लालसोट	3	4.50	2500 / -
योग		17	24.00	
02. बांदीकुई खण्ड				
02 (अ)	पवस बांदीकुई	6	7.50	2500 / -
02 (ब)	पवस बसवा	6	7.50	2500 / -
02 (स)	पवस सिकराय	7	10.50	2500 / -
02 (द)	पवस महुवा	7	10.50	2500 / -
योग		26	36.00	

नियम व शर्तें:-

1. निविदा के साथ जयपुर डिस्काम में (E I & E II श्रेणी में) एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों को अनुमानित वार्षिक लागत का आधा प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी में पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा प्राप्त निविदा नहीं खोली जायेगी और न ही कोई विवाद सुना जायेगा।

- 2 निविदा प्रपत्र दि० 19.9.2011 दोपहर 2:30 बजे तक बेची जाकर दि० 20.9.2011 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अधिकृत कमेटी द्वारा खोली जायेगी।
- 3 डाक में देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र तथा तार द्वारा प्राप्त दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।
- 4 निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र में अंकित है।
- 5 बिना कारण बताए किसी भी या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होगा।
- 6 निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्य (उपचौकियों) की मात्रा कम या बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- 7 सफल निविदाकार पर सभी प्रचलित श्रम कानून लागू होंगे।

५
6/9/11

(डी. एम. चौधरी)

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर डिस्काम, दौसा

क्रमांक: जेपीडी/अअ/दौसा/पवस/कय/प्रे. ६ 5399 दिनांक: 6.9.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्काम, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ लेखाधिकारी (पवस), जयपुर डिस्काम, जयपुर।
- 3 जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्काम, जयपुर को 4 अतिरिक्त प्रतियां प्रेषित कर लेख है कि निगम नियमानुसार अविलम्ब उक्त सूचना सक्षम समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
- 4 लेखाधिकारी (पवस), जयपुर डिस्काम, दौसा।
- 5 अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्काम, दौसा, बांदीकुई।
- 6 कार्मिक अधिकारी (पवस), जयपुर डिस्काम, दौसा।
- 7 सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्काम,

५
6/9/11

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर डिस्काम, दौसा